राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail:, rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः 16894   दिनांक :11/07/2018 13

परिपत्र

विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार/नाल्सा व राल्सा के एक्शन प्लान के अनुसार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु टीम के गठन बाबत्।

राजस्थान राज्य में ग्रामीण स्तर तक विधिक साक्षरता की पहुंच बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सेमीनार/विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन हेतु टीमों के गठन के लिए पत्र क्रमांक RSLSA/Team/Seminar/LLC/2012/8373-8407 दिनांक 02.07. 2012 जारी किया गया था। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उक्त पत्र निरस्त. किया जाकर विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार/नाल्सा व राल्सा के एक्शन प्लान के अनुसार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु टीम गठन के लिए निम्नानुसार नए निर्देश दिए जाते हैं:-

- टीम को "विधिक जागरूकता टीम" के नाम से संबोधित किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए टीमों का गठन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा टीमों की संख्या, निम्नानुसार होगीः-

क्र. सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	टीमों की संख्या
1.	जयपुर महानगर, जयपुर जिला, जोधपुर महानगर, जोधपुर जिला, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर।	08
2.	अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौडगढ़, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, मेड़ता, पाली, सीकर, टोंक, बालोतरा, बांसवाड़ा, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही।	05

- प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति के लिए टीमों का गठन अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति के लिए 03 टीमों का गठन किया जाएगा।
- प्रत्येक टीम में 02 पैनल अधिवक्ता एवं 02 पीएलवी शामिल होंगे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति (जैसा कि लागू हो) के लिए गठित पैनल अधिवक्तागण के पैनल व पीएलवी के पैनल में से लिए जाएंगे।
- प्रत्येक टीम में शामिल पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए प्रतिदिन मानदेय/प्रतिमाह अधिकतम मानदेय/यात्रा व्यय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 38502-38536 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार किया जाएगा।
- यदि टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित है या अपनी सेवायें देने में असमर्थ है तो उसके स्थान पर दूसरे पैनल अधिवक्ता या पैरा लीगल वॉलियन्टर को भिजवायें।
- टीम विभिन्न विधिक विषयों/नाल्सा व राल्सा के एक्शन प्लान में दिए गए कार्यक्रमों/अन्य संबंधित विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेगी, लोगों की समस्याएं सुनेगी, सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त कर उन्हें सचिव, जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण अथवा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अग्रेषित करेगी। टीम स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मध्यस्थता और लोक अदालतों के प्रचार पर विशेष ध्यान देगी एवं पक्षकारों से उनके प्रकरण लोक अदालत अथवा मध्यस्थता से सुलझाने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगी। टीम विशेष स्थान से संबंधित समस्याओं विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उनके निवारण हेतु आवश्यक कदम उठायेंगी एवं उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य करेंगी।

- गठित टीम विभिन्न स्तरों पर निम्न स्थानों पर सेमीनार/शिविर/कार्यक्रम आयोजित करेगी:—

ग्रामीण स्तर	ब्लॉक स्तर	जिला स्तर
पंचायत भवन, विद्यालय, कॉलेज, सामुदायिक भवन, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, गुरूद्वारा, मन्दिर, मेला, बस स्टैण्ड, राजीव गाँधी सेन्टर, पटवार खाना एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नियत अन्य स्थान।	सीडीपीओ कार्यालय, तहसील कार्यालय, धार्मिक स्थानों, विद्यालयों, कॉलेज, सामुदायिक भवन, कच्ची बस्ती, अस्पताल, मेला, बस स्टैण्ड, सब डिविजनल जेल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नियत अन्य स्थान।	विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला/केन्द्रीय कारागृह, किशोर गृह, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, अस्पताल, मेले, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, वॉर्ड्स, कच्ची बस्ती, जिला प्रशासन परिसरों, एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नियत अन्य स्थान।

- टीम का कोई भी एक सदस्य पैनल अधिवक्ता ऐसी टीम का प्रभारी होगा जो कि टीम द्वारा किए गए कार्य/लगाए गए विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार की मासिक रिपोर्ट मय 04—05 फोटोग्राफ्स आगामी माह की 02 तारीख तक आवश्यक रूप से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- टीम प्रत्येक माह में कम से कम 02 विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार/कार्यक्रम आयोजित करेगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति टीम द्वारा उपरोक्त 02 कैम्प किये जाने बाबत् प्रत्येक त्रैमास का अग्रिम रूप से कैलेण्डर (स्थान व दिनांक) तैयार कर उसे अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाकर उसकी एक प्रति राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे। उपरोक्त कैलेण्डर तैयार करते वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जावे कि टीम द्वारा जिले/तालुक के प्रत्येक क्षेत्र में कैम्प का आयोजन हो। **उक्त 02 कैम्प के अलावा टीम द्वारा राल्सा/नाल्सा के एक्शन प्लान के अनुसार विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार/ कार्यक्रम का आयोजन भी आवश्यक रूप से किया जाएगा।**

- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना हो तथा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रत्येक माह की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संकलित रिपोर्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावे।

उपरोक्त "विधिक जागरूकता टीमों" के अतिरिक्त प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति में निम्न टीमें भी गठित की गई है। जो उपरोक्त जागरूकता टीमों के अतिरिक्त हैं एवं जो उनके समक्ष वर्णित नीचे दिए गए परिपत्रों के अनुसार कार्यरत रहेंगी।

- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 22605—22639 दिनांक 21.01.2015 द्वारा कारागृहों में निरूद्ध बन्दियों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को विधिक सलाह, साक्षरता एवं विधिक

सहायता प्रदान करने के क्रम में गठित टीम उक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही कार्य करेगी।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 8941–8975 दिनांक 16.06.2017 एवं पत्र क्रमांक 14658–14685 दिनांक 03.08.2017 द्वारा जेल में स्थित विधिक सेवा क्लिनिक में प्रत्येक सप्ताह के दौरान पैनल अधिवक्ता द्वारा 04 विजिट भी की जाएगी।

- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7348–7361 दिनांक 16.05.2018 द्वारा स्थायी लोक अदालतों के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु गठित टीम उक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही कार्य करेगी। उक्त टीम सम्पूर्ण जिले के लिए कार्य करेगी व टीम के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य के मानदेय व यात्रा व्यय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 38502–38536 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार किया जाएगा।
- इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 5738 दिनांक 04.05.2018 द्वारा नाल्सा की 10 योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु गठित टीमें परिपत्र क्रमांक 14 दिनांक 22.02.2018 में दिए गए निर्देशानुसार ही कार्य करेगी।

11/7/18
(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

क्रमांकः 16895–17118 दिनांक : 13/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
5. उप सचिव–प्रथम/द्वितीय/एपीएडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
7. नोड़ल अधिकारी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावे।
8. संबंधित पत्रावली।

11.7.18
संयुक्त सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।